न्यायालय सहायक कलक्टर, नगर (भरतपुर)

क्रम तारीख	हुक्म या कार्यवाही इनिशियलस जज निर्णय दीपचंद बनाम रामअवतार वगै0 किस्म मुकदमा : दावा 53,188 आर0टी0एक्ट	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1.04.2022	पत्रावली आज पेश हुई, पत्रावली में गत ता0 पेशी को प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 पर उभय पक्ष के अभिभाषकों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी (प्रतिवादी) ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया कि वादी (अप्रार्थी) द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र आराजी खसरा नम्बर 942/0.37, 943/0.15, 944/0.02, बाके ग्राम सीकरी पटटी तहसील सीकरी की बाबत दावा पेश किया है। प्रतिवादी संख्या 21 हरप्रसाद द्वारा एक वाद पत्र बाबत विभाजन आराजी मुत0 की बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नगर में सन् 2002 में पेश किया जिसमें दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद दिनांक 29.10.2005 को दावा में प्रारंभिक डिक्री हुई, उसके पश्चात कुर्रे निर्मित हुए तथा फाईनल डिक्री वादी व प्रतिवादीगण व पूर्वजों के मध्य दिनांक 26.03.2007 को पारित हुई, उसी मुताविक राजस्व रिकार्ड में विभाजन होकर अलग–अलग वादी प्रतिवादीगण के नंबरान का विभाजन होकर राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज हो गया। सभी अपने–अपने हिस्से व नंबरों पर काबिज हो गये। इस प्रकार वादी को पुनः आराजी खसरा नंबर 942/2/0.18, 943/2/0.07, 944/0.02 जो प्रतिवादी संख्या 09 लगायत 15 के नाम खसरा नंबर 942/0.10, 943/0.04 जो प्रतिवादी संख्या 21 व 17 लगायत 20 के नाम राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है कि बाबत दावा दायर करने का हक अधिकार नहीं है। विभाजन हो चुका है। कोई विनायमुखासमत वादी को हॉसिल नहीं होते है। वाद वादी धारा 10 व 11 जा0दी0 के तहत पूर्व न्याय के सिद्धान्त से चलने योग्य ना होकर काबिल खारिजी है। उक्त विवादित आराजी से संबंधित एक वाद पत्र वादी के खास भाई रमनलाल द्वारा एक दावा आराजी मुत0 के विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय श्रीमान ए0सी0ई0एम0 नगर में उनवानी रमनलाल बनाम राजू आदि मुकदमा नंबर 6/16 प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश कर दिनांक 06.01.2016 को स्थगन आदेश जारी कराया व जमीन आराजी को मुकदमेंबाजी में फॅसाये रखने के उददेश्य से किया जो न्यायालय श्रीमान द्वारा दोनो पक्षों की सुनवाई कर स्थगन	

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)
नगर (भरतपुर) राज.

आदेश दिनांक 06.01.2016 को खारिज फरमाया गया व दावा दिनांक 30.06.2018 को खारिज हो गया। इस प्रकार वादी को पुनः उसी आराजी का दावा पेश करने का हक अधिकार नहीं है। पक्षकार के हक तय हो चुके हैं। अतः वाद वादी महज प्रतिवादीगण को तंग व परेशान करने की नियत से पेश किया है जो विधि वर्जित होने से चलने योग्य ना होकर काबिले खारिजी है। इसलिए वाद वादी नामंजूर किये जाने योग्य होने से काबिले खारिजी है। बाद निर्णय दिनांक 26.03.2007 वादी का आराजी खसरा नंबर 942/2/0.18, 943/2/0.07, 944/0.02, से कोई सम्बंध नहीं है। वाद पत्र में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 91, 188 के प्रावधान लागू नहीं होने से विधि वर्जित होने से काबिले खारिज है। वादी द्वारा 05 वर्ष पूर्व मृत नैमीचंद प्रतिवादी संख्या 15 व लेखराज प्रतिवादी संख्या 16 मृतकों के विरूद्ध वाद पेश किया है जो काबिले खारिज है। आराजी खसरा नंबर कस्बा सीकरी की आबादी के अंदर करीब 10–12 वर्ष आ जाने से आबादी भूमि है चारो तरफ घरे मकान बने है। काश्त नहीं होती है। इस प्रकार विवादित स्थल की सुनवाई का अधिकार राजस्व अदालत को ना होकर सिविल न्यायालय को होने से क्षेत्राधिकार के आधार पर विधि वर्जित है। अतः दावा व प्रार्थना पत्र टी0आई0 खारिज फरमाया जावे। अन्त में प्रार्थी ने निवेदन किया कि दावा वादी स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज फरमाया जावे। वकील अप्रार्थी (वादी) ने कथन किया कि मैं प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 का जबाब दिये बिना ही बहस करूंगा। प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य उक्त आराजी का बंटवारा हो चुका है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में विभाजन अनुसार अंकन हो चुका है अतः वादी को कोई विनाय मुखास्मत पैदा नहीं होती है। वादी ने दावा सिर्फ प्रतिवादीगण को परेशान करने की नियत से पेश किया है अतः प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 को स्वीकार फरमाया जावे। अप्रार्थी (वादी) वकील प्रार्थी ने आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 की व्याख्या नहीं की है। दावे में तनकीवार तय होने के पश्चात ही प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 को निर्णित किया जावे। पूर्व के दावे की व इस दावे में कोई समानता नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)
नगर (भरतपुर) राज०

जा0दी0 खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में उभय पक्ष के अभिभाषकों की बहस पर मनन किया गया व प्रार्थी (प्रतिवादी) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0, व वादी द्वारा प्रस्तुत मूल–वाद का अवलोकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि विभाजन के दावे का निर्णय पूर्व में 26.03.2007 को होकर राजस्व रिकार्ड में अंकन हो चुका है। वादी ने दावे में मौके पर निशानदेही व डोल मेड कायम करवाने हेतु दावा प्रस्तुत किया है। पूर्व में विभाजन के दावे का निर्णय दिनांक 26.03.2007 को हो चुका है इससे यह प्रमाण है कि विधिवत आराजी का विभाजन होकर खातेदार मुताबिक अपने–अपने हिस्से पर कायम रहे हो। तथापि वादी खातेदार अपनी आराजी की मौके पर निशानदेही के लिए सक्षम प्राधिकारी (तहसीलदार) के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकने के लिए स्वतन्त्र है। मौके पर निशानदेही (सीमाज्ञान) करवाने हेतु यह न्यायालय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत आदेश देना अपने क्षेत्राधिकार में न होकर तथा युक्तिसंगत न होना मानता है। अन्य खातेदारों के विरूद्ध भी स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं है। इस प्रकार दावा इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 को स्वीकार किये जाने योग्य मानता है अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 को स्वीकार फरमाया जाता है तथा वाद वादी प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 के तहत खारिज फरमाया जाता है। निर्णय आज दिनांक 21.04.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)
नगर (भरतपुर) राज.